बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना– 15, दिनांक–

श्री अशोक कुमार पाल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 296/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू सम्प्रति विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर के विरूद्व प्रखंड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू के पद पर रहते हुए सक्षम प्राधिकार से 15 जलधारा कूप की स्वीकृति प्राप्त किये बिना अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कूप की स्वीकृति प्रदान करने, एकरारनामा करने, कार्यादेश निर्गत करने एवं सरकारी राशि का दुरूपयोग करने के प्रतिवेदित आरोप के लिए आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित किया गया।

2. प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में श्री पाल से विभागीय पत्रांक 5845 दिनांक 19.08.2003 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्पश्चात् पत्रांक 945 दिनांक 04.02.2004 तथा पत्रांक 9719 दिनांक 08.11.2004 द्वारा स्मारित भी किया गया, किन्तु श्री पाल द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 18243 दिनांक 28.11.2013 द्वारा उपर्युक्त आरोपों के लिए श्री पाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 1053 दिनांक 18.08.2016 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या–1 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या–2 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। आरोप संख्या–1 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष निम्नवत् है :–

''श्री अशोक कुमार पाल, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर सम्प्रति विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के 15 जलधारा कूप की स्वीकृति देना अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया कार्य है, जो अवैध है। लाभुकों का बिना परीक्षण किये राशि वितरित किया गया, जो वित्तीय अनियमितता है।''

5. विभागीय पत्रांक 12289 दिनांक 08.09.2016 द्वारा प्रमाणित आरोप के लिए श्री पाल से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त निदेश के आलोक में श्री पाल के द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 30.09.2016 समर्पित किया गया।

उपर्युक्त अभ्यावेदन में श्री पाल द्वारा कहा गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य अभिलेख तथा उनके द्वारा समर्पित लिखित पक्ष की समीक्षा की गयी है, जिसमें उनके द्वारा समर्पित लिखित पक्ष (बचाव बयान) का उल्लेख किया गया है कि पूर्व की जिलास्तरीय बैठक में वरीय सक्षम पदाधिकारी द्वारा मौखिक रूप से निदेश दिया गया था कि जलधारा कूल जैसे जनहित योजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा कराना है और लाभुकों का चयन करते हुए सूची भेजकर कार्य प्रारम्भ करा दें ताकि वित्तीय वर्ष में योजना पूर्ण हो सके। उक्त लिखित पक्ष के संबंध में विवेचना के दौरान संचालन पदाधिकारी ने कहा है कि उनके द्वारा उक्त कथन के संबंध में साक्ष्य के रूप में कोई अभिलेख यथा बैठक की कार्यवाही आदि संलग्न नहीं किया गया है। इसके अलावा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई कूप संबंधित आवेदन पत्र के विहित स्थान पर अंचल अधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर भी नहीं है और निर्गत कार्यादेश का ज्ञापांक, दिनांक तथा कार्यादेश में योजना संख्या भी अंकित नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि लाभुकों का परीक्षण किये बिना ही राशि उपलब्ध करायी गयी है। संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपर्युक्त विवेचना के

कृ0पृ0उ0

आधार पर उनके विरूद्ध गठित आरोप संख्या–1 को प्रमाणित किया गया। अतः न्यायहित में उनके उक्त लिखित पक्ष के समर्थन में साक्ष्य के रूप में संबंधित जिलास्तरीय बैठक की कार्यवाही से संबंधित अभिलेख को प्रस्तुत करना अत्यावश्यक है। श्री पाल के द्वारा माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 1996 का जिलास्तरीय प्रखंड विकास पदाधिकारीगण की मासिक बैठकों की कार्यवाही से संबंधित अभिलेख प्रदान करने हेतु निदेश संबंधित विभाग/जिला को देने का अनुरोध किया गया, ताकि वे संचालित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप संख्या–1 के संबंध में अपना अभ्यावेदन पूर्णरूपेण सही ढंग से समर्पित कर सकें।

7. प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री पाल द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरांत पाया गया कि श्री पाल के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को समर्पित लिखित पक्ष की कंडिका–2 में उल्लेख किया गया है कि–प्रपत्र 'क' में गठित आरोप की कंडिका–1 के संबंध में कहना है कि सरकार से प्राप्त जिला की लक्ष्यों को प्रखंडों की जनसंख्या के आलोक में निर्धारित कर संसूचित किया जाता है, जिसके आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभुकों का चयन कर सूची स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त को भेजा जाता था तथा इसी सूची की स्वीकृति प्राप्त होती थी। प्रश्नगत जलधारा कूपों की सूची स्वीकृति हेतु प्रखंड कार्यालय के पत्रांक 896 दिनांक 31.12.1996 द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्दर भेजा गया था। चूँकि भेजी गयी सूची का ही स्वीकृति प्राप्त होती थी इसलिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में संबंधित लाभार्थियों के अभिलेख खोलने, एकरारनामा करने एवं कार्यादेश निर्गत किया गया था तथा कुल छः लाभुकों को पाँच–पाँच हजार रू0 चेक द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात् वहां से आरोपी की स्थानान्तरण होने पर दिनांक 13.01.1997 को अपना पदभार सौंपकर स्थानान्तरण स्थान पर प्रभार ग्रहण किया गया। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व की जिलास्तरीय बैठक में वरीय सक्षम पदाधिकारी द्वारा मौखिक रूप से निदेश दिया गया था कि जलधारा कूप जैसे जनहित योजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा कराना है और लाभुकों का चयन करते हुए सूची भेजकर कार्य प्रारंभ करा दें ताकि वित्तीय वर्ष में योजना पूर्ण हो सके। चूँकि संबंधित वित्तीय वर्ष का समापन में मात्र तीन माह की अवधि बची हुई थी, जिसमें प्रश्नगत योजना का कार्य पूर्ण कराना था। ऐसी परिस्थिति में वरीय सक्षम पदाधिकारी के उपरोक्त मौखिक दिशा–निर्देश के आलोक में स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य कराने का आदेश दिया गया। इसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गयी। इसके मात्र एक सप्ताह बाद उनका स्थानान्तरण हो गया। इस प्रकार गठित आरोप की कंडिका–1 में उनके विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप गलत है।

श्री पाल के उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि श्री पाल के द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि पूर्व की जिलास्तरीय बैठक में वरीय सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिये गये मौखिक निदेश के आलोक में उनके द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन श्री पाल के द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। यदि श्री पाल के द्वारा जिला पदाधिकारी के मौखिक निदेश पर उनकी स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य कराया गया था तो वैसी स्थिति में प्रभार परित्याग करने के पूर्व जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/सक्षम प्राधिकार से जलधारा कूप निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए थी, जो नहीं किया गया है।

7. वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री पाल के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक

कृ0पृ0उ0

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत ***"एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में एक निम्नतर प्रक्रम पर अवनति"*** का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

8. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अशोक कुमार पाल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 296/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू सम्प्रति विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में एक निम्नतर प्रक्रम पर अवनति।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति सभी संबंधित को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(भीम प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक– 2/सी0–3–3049/2003 –सा0प्र0–1182 /पटना, दिनांक–31-1-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/श्री अशोक कुमार पाल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 296/11, विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/1/17
सरकार के उप सचिव।